

1 <sup>9</sup>/<sub>23</sub> पत्रावली पेश हुई। आज अधिवेशन में कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आवेदनानुसार दिनांक 11-9-23 को पेश होगी।

11 <sup>9</sup>/<sub>23</sub> पत्रावली पेश हुई। वकील/उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वदिशानुसार दिनांक 4-10-23 को पेश होगी।

4 <sup>10</sup>/<sub>23</sub> पत्रावली पेश हुई। वकील/उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वदिशानुसार दिनांक 31-10-23 को पेश होगी।

31 <sup>10</sup>/<sub>23</sub> पत्रावली पेश हुई। वकील/उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वदिशानुसार दिनांक 22-12-23 को पेश होगी।

2 <sup>11</sup>/<sub>23</sub> एचएल काज मिशन वकील आवेदन पर पेश हुई। वकील आप वका 41 फिट। वदलीकहाल है किमान न प्रताप कुमार के मुकदमे क्र. 2023/4458 दि. 30.10.23 प्रायः से चुका है। वकील आप वका उक्त विभाजन प्रताप के अनुसार भोतिग्र डिप्टी डिप्टी जाने पर बरखा दी जाए। वदलीकहाल के विभाजन प्रतापानुसार वकील आप वका को बरखा है भोतिग्र डिप्टी से कार्य दो डिप्टी पारकी एचएल प्रेशम मुगत दोकत जस्टिस है जस्टिस हाइकोरक वका दो विद्वेष आप गरी दस्तकाल है मुकदमा गण।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

ह. भाग जी  
द्वारा (C) प्रेशम  
के अंतर्गत  
P.P. को  
जाने में  
आपने  
गरी।

द्वारा  
वकील प्रेशम

वकील प्रेशम  
01 (रक)

वकील प्रेशम  
क्र 2

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी :- श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर :- 98/2023

1. बाबूलाल पुत्र पदमाराम
2. रामस्वरूप पुत्र पदमाराम
3. दिशान्त सैनी पुत्र कमल किशोर
4. रविना पुत्री कमल किशोर
5. हिमाशुं पुत्र कमल किशोर
- नाबालिग जरिए संरक्षिका माता सुनिता देवी बेवाह कमल किशोर
6. सुनिता देवी बेवाह कमल किशोर समस्त जाति माली निवासीगण घोराणा तहसील व जिला सीकर

वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र पदमाराम जाति माली निवासी घोराणा तहसील व जिला सीकर
2. सांवरमल पुत्र पदमाराम जाति माली निवासी घोराणा तहसील व जिला सीकर
3. सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. शाखा कल्याण सर्किल सीकर जरिए शाखा प्रबंधक
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर

प्रतिवादीगण

तहसीलदार सीकर के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक:- भू.अ./2023/4458 दिनांक 30.10.2023 के अनुसार भिजवाये गये प्रस्ताव के अनुसार वकील उभयपक्ष की सहमति से अन्तिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 2/11/2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


उपखण्ड अधिकारी- सीकर



## वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	2.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	14.00	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	36.00
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस	12.00	कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	64.00	जोड़	36.00



  
 (जय कौशिक)  
**उपखण्ड अधिकारी- सीकर**  
 उपखण्ड अधिकारी सीकर